छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित
शासकीय, स्वशासी, विश्वविद्यालयीन एवं
निजी इंजीनियरिंग संस्थाओं में संचालित इंजीनियरिंग स्नातक उपाधि (बी.ई.) एवं विश्वविद्यालयीन तथा निजी फार्मेसी संस्थान में संचालित स्नातक उपाधि (बी.फार्मेसी) एवं डिप्लोमा (डी.फार्मेसी) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम/प्रक्रिया

सत्र 2016-2017

तकनीकी शिक्षा संचालनालय
तृतीय खण्ड, तृतीय/चतुर्थ मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष 0771-2221376, फेक्स 0771-2331331

websites-
www.cgdteraipur.ac.in

महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता प्रवेश परीक्षा (पी.ई.टी./जे.ई.ई (मेन)/पीपीएचटी) का फार्म भरते समय नहीं होती है। इन दस्तावेजों की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण के समय होती है, अतः दस्तावेज परीक्षण के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें, ताकि दस्तावेज परीक्षण के समय असुविधा न हो :-
  1. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र
  2. स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
  3. दसवीं की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)
  4. बारहवीं की अंकसूची
  5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) होने का प्रमाण-पत्र (अभिभावक का)
  6. सैनिक (Sainik) होने का प्रमाण-पत्र(अभिभावक का)
  7. निःशक्तता से बाधित (PWD) होने संबंधी प्रमाणपत्र -
  (1) संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं
  (2) अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर, दूरभाष क्र. 0761-2405581 द्वारा जारी हो।
  (उपरोक्त दोनों अधिकारियों से जारी निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र-संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन प्रमाण पत्र आवश्यक है)।
- काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट बी.ई. एवं बी.फार्मेसी के लिये www.cgdteraipur.ac.in का अवलोकन करते रहें ।
- इस वर्ष काउंसिलिंग जून/जुलाई के माह में हो सकती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है। कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें, **इसके लिये कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा।**
- पी.ई.टी./पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु फार्म भरने से पूर्व इस पुस्तिका का अध्ययन ठीक से अवश्य कर लें, एवं यह सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश नियमानुसार आप प्रवेश हेतु पात्र हैं। केवल प्रवेश परीक्षा में बैठने मात्र से किसी संस्था/पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं बन जाती।

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
-:: मंत्रालय ::-
अधिसूचना

क्रमांक/एफ 9-9/...../तक.शि./42 दिनांक / /2016

''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के सेक्शन 3(6) के प्रावधान के अनुसार निजी इंजीनियरिंग संस्थाओं में संचालित बी.ई. (Bachelor of Engineering) पाठ्यक्रम में तथा निजी फार्मेसी संस्थाओं में संचालित बी.फार्मेसी (Bachelor of Pharmacy) तथा डी.फार्मेसी (Diploma of Pharmacy) पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे। सत्र 2016-2017 के लिये बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पी.ई.टी (PET) एवं जे.ई.ई (मेन) (JEE MAIN) परीक्षा को एवं बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पीपीएचटी (PPHT) को सामान्य प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test) के रूप में मान्य किया जाता है।

पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी. परीक्षा का आयोजन छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा किया जाता है, जबकि जे.ई.ई (मेन) परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाती है। बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पी.ई.टी./जे.ई.ई (मेन) में सम्मिलित होना (जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को छोड़कर) अनिवार्य है।

बी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पी.पी.एच.टी. में सम्मिलित होना (जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को छोड़कर) अनिवार्य है। तथापि डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पी.पी.एच.टी. अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी तथा पी.पी.एच.टी. अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर डिप्लोमा फार्मेसी में प्रवेश 12वीं के PCM/B के प्राप्तांकों के आधार पर हो सकेंगे।

बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के साथ-साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी को भी पी.पी.एच.टी. परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। बायोटेक्नालॉजी (बी.ई.) में कुल स्वीकृत सीटों का संस्थावार 2/3rd सीट पी.ई.टी. के आधार तथा 1/3rd सीट पी.पी.एच.टी. के आधार पर भरी जायेगी। यदि पी.ई.टी. के आधार पर भरी जाने वाली सीट खाली रह जाती है तो उसे पी.पी.एच.टी. के आधार पर भरी जा सकेंगी। उसी प्रकार यदि पी.पी.एच.टी. के आधार पर भरी जाने वाली सीट खाली रह जाती है तो उसे पी.ई.टी. के आधार पर भरी जा सकेंगी। इन्हीं नियमों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, शासकीय विश्वविद्यालयीन एवं स्वशासी स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओं में भी प्रवेश होंगे प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :-

2.1 **संक्षिप्त नाम** : ये नियम ''छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग स्नातक तथा फार्मेसी स्नातक/डिप्लोमा पाठयक्रम में प्रवेश के नियम 2016'' कहलायेंगे । इन नियमों को एतस्मिन पश्चात 'प्रवेश-नियम' कहा गया है।

2.2 **विस्तारः** ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं फार्मेसी महाविद्यालयों तथा इन संस्थाओं में संचालित बी.ई./बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी पाठयक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।

2.3 **परिभाषायें :-**

इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

1. **'प्रवर्ग'(Category)** का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा ।
2. **'व्यापम'** का तात्पर्य है 'छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल' छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. **'सक्षम प्राधिकारी'** (स.प्रा.) का तात्पर्य है ऐसा अधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
4. **'प्राचार्य'** का तात्पर्य है संस्था प्रमुख अथवा संस्था का प्रभारी।
5. **'छत्तीसगढ़'** का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दि. 01.11.2000 को अस्तित्व में आया ।
6. **'अभातशिप'** का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।

7. **'संचालक'** का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. **'अभ्यर्थी'** या **'उम्मीदवार'** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है।
9. **'वर्ग'(Class)** से अभिप्रेत है 'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं *'निःशक्तता से बाधितवर्ग' में से कोई एक* जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे 'बिना वर्ग' माना जायेगा।
10. **'पी.ई.टी.'** का तात्पर्य है छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा।

11 **'पी.पी.एच.टी.'** का तात्पर्य है छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी/बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण हेतु ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा।

12 **'जे.ई.ई'** का तात्पर्य है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली द्वारा बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण हेतु ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा।

2.4 (अ) प्रवेश हेतु सीटों के कोटा का निर्धारण - विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की सीटों को सत्र 2016-17 के लिये निम्नानुसार 03 प्रकार के कोटा में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CG	OS	MGT
निजी संस्थायें	75	10	15
के.आई.टी., रायगढ़	80	10	10
आई. टी. कोरबा	75	10	15
शासकीय संस्थायें	100	NIL	NIL
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्था	100	NIL	NIL
अल्पसंख्यक संस्था	50	-	50

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :– इस कोटा के अंतर्गत केवल छ.ग. के मूल निवासी छात्र प्रवेश के पात्र होंगे। छ.ग. राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी.-2016 की मेरिट के आधार पर होंगे एवं प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग के माध्यम से संचालनालय द्वारा की जायेगी ।

(2) अन्य राज्य कोटा (Other State Quota) :– इस कोटे के अंतर्गत केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे। अन्य राज्य के अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होने पर इसे आवश्यकतानुसार छ.ग. राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है। इस कोटे पर प्रवेश JEE(main)/PPHT–2016 के मेरिट के आधार पर होंगे एवं प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग के माध्यम से संचालनालय द्वारा की जायेगी ।

(3) मेनेजमेंट कोटा (Mngt. Quota) :– इस कोटे के अंतर्गत छ.ग. राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के छात्र भी प्रवेश हेतु पात्र हैं । इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी./ पी.पी.एच.टी अथवा JEE(main)-2016 के मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर होंगे । इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

टीपः-1. निजी संस्थाओं में मेनेजमेंट कोटा की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक Special leave to appeal (Civil) 26436/2012 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

2 कोई संस्था स्वेच्छा से मेनेजमेंट कोटा की समस्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में समर्पण कर सकती है। आंशिक समर्पण मान्य नहीं है। इसके लिए संस्था को काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा।

(ब) आबंटन क्रम

1. सबसे पहले अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को निजी एवं स्वशासी संस्थाओं के अन्य राज्य कोटा के सीटों पर JEE (MAIN)/ PET/PPHT के आधार पर प्रवेश हेतु केन्द्रीय आबंटन किया जाएगा। सीट रिक्त रहने पर रिक्त सीटों को छ.ग.कोटा में परिवर्तन कर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से PET /PPHT-2016 के माध्यम से भरा जाएगा।
2. इसके पश्चात शासकीय/विवि संस्थाओं एवं निजी तथा स्वशासी संस्थाओं के छ.ग. कोटा सीटों तथा उपरोक्तानुसार शेष रह गई सीटों को छ.ग. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी.-2016 की मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु केन्द्रीय आबंटन किया जाएगा।
3. तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर छ.ग. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को PET/JEE (MAIN)-2016 के मेरिट के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा।

4. इसके पश्चात भी सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को PET/PPHT/JEE (MAIN)-2016 की मेरिट के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा।

(स) काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले संभावित इंजीनियरिंग संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम तथा शर्तें :-

1 Table-1 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थाओं में इंजीनियरिंग स्नातक उपाधि पाठयक्रमों में सत्र 2016-2017 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या दर्शाई गई है। इसमें परिवर्तन हो सकता है।
Table-2 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभिन्न फार्मेसी संस्थाओं में स्नातक/डिप्लोमा उपाधि पाठयक्रमों में सत्र 2016-2017 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या दर्शाई गई है। इसमें परिवर्तन हो सकता है।

2 काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी संस्था को रु. 1000/- प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कॉशन मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कॉशन मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा । यह काशन मनी संस्थाओं द्वारा TFW के परिपालन एवं छात्रों की फीस संबंधी शिकायत के निराकरण के पश्चात वापसी योग्य है। फीस वापसी संबंधी शिकायतों का निराकरण यदि संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो जमा काशन मनी से छात्रों को फीस वापस करने की कार्यवाही की जा सकती है।

2.5 सीटों का आरक्षण :-

2.5.1 उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवर्गों के लिए-

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, शासकीय विश्वविद्यालयीन स्वशासी-स्ववित्तीय तथा निजी संस्थाओं में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है, शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी ।

छ.ग. राजपत्र में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 9-02/2012/तक.शि./42 दिनांक 19 फरवरी 2013 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2013-14 से निजी गैर-अनुदान प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति (एस.सी), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) एवं अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रमवार कुल स्वीकृत सीटों का क्रमशः 12 प्रतिशत, 32 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जायेगी। किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर, उनको (उन सीटों को) शासकीय संस्थाओं में प्रचलित नियम के अनुसार अन्य या अनारक्षित वर्ग से भरा जायेगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में, निर्धारित 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक सीटों में आरक्षण नहीं रहेगा परंतु शेष सीटों के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षण रहेगा ।

इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग (SC/ST/OBC/UR) का अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है । यदि किसी SC/ST अथवा OBC प्रवर्ग के छात्र को मेरिट के आधार पर अनारक्षित UR सीट मिलती है तो उसे UR में ही समायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने दिया जायेगा ।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी।

टीपः-

(अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

2.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)
'सैनिक वर्ग' 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' *एवं 'निःशक्तता से बाधित' अभ्यर्थियों के लिये*

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (SC,ST,OBC,UR) हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरूद्ध पुनः 'सैनिक' (S) 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' (FF) एवं *निःशक्तता से बाधित वर्ग* (PWD) के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 5, 3 एवं 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं । स्वशासी-स्ववित्तीय संस्थाओं एवं शास. विवि संस्थाओं में केवल निःशक्तता से बाधित (PWD) अभ्यर्थी के लिये ही 3 प्रतिशत सीटों का आरक्षण हैं । ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। निजी संस्थाओं में क्षैतिज आरक्षण नहीं है।

2.5.2.1 सैनिक वर्ग

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से निःशक्तता से बाधित हो गये हों अथवा जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो शामिल हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3(अ) में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अथवा *ऑफिसर कमांडिंग* द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । **भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है** जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है । इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को प्रारूप-6 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा ।

जो भूतपूर्व सैनिक स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित हो गये है उन्हें नियम-पुस्तिका के प्रारूप-3 (ब) में प्रमाण-पत्र जमा करना होगा ।

छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के कारण प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रारूप-3(स) एवं प्रारूप-6 दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

प्रवेश की तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र (जिस हेतु क्रमशः संलग्न प्रारूप-6 का उपयोग किया जा सकता है) प्रस्तुत करना होगा। किसी अभ्यर्थी की सैनिक वर्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

टीपः 1. होमगार्ड, पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स आदि जो सैनिक की परिभाषा में नहीं आते, सैनिक वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे ।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ/कार्यरत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्मिकों, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के शहीद हो गये कार्मिकों को भी सैनिक वर्ग के समान मानते हुये उनके संतानों को भी इस संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सैनिक के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान रहेगा ।

2.5.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग :-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उन संतानों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नाती/नातीनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 2.6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं ।

इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है ।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्ट्रेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है, परंतु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप-4 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल संबंधित कलेक्टर द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही अभ्यर्थी का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण-पत्र होगा।

2.5.2.3 **निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण** (Reservation for Persons with Disability)

ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक है एवं जो **नियम 2.6.2** के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों उनके लिये शासकीय संस्था, शासकीय विश्वविद्यालय तथा स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं की उपलब्ध सीटों में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) में प्रवर्गवार उपलब्ध रहेगा। यदि किसी ब्रांच में इस क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध निःशक्त अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो इस सीट को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग में परिवर्तित किया जा सकेगा। ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। निःशक्तजनों को माइनिंग इंजीनियरिंग में प्रवेश की पात्रता नहीं है।

टिप्पणी: इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को :-

1. जिला चिकित्सा मंडल द्वारा निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र एवं
2. अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर, दूरभाष-0761-2405581 द्वारा जारी इस आशय का पात्रता प्रमाण-पत्र कि वह संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपयुक्त है, प्रस्तुत करने होंगे। (दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।) इसलिए कॉउंसिलिंग से पहले दोनों प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी बनवा लें।
3. यदि किसी निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर UR की सीट मिल रही हो तो भी उसे पुर्नवास केन्द्र का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। ताकि यह पता चल सके अभ्यर्थी किस ब्रांच में प्रवेश के लिये उपयुक्त है।

2.5.2.4 **महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण**

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, शासकीय विश्वविद्यालयीन तथा स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (SC, ST, OBC, UR) के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटों का प्रवर्गवार आरक्षण उपलब्ध रहेगा । ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा।

प्रत्येक संस्था में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। माइनिंग शाखा में केवल पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता है अतः इन सीटों में महिला आरक्षण नहीं है। किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। निजी संस्थाओं में महिलाओं हेतु आरक्षण नहीं है।

2.5.2.5 **बिना वर्ग**

जो अभ्यर्थी ठीक पूर्ववर्ती चारों वर्गों में से किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का या तो दावा न करता हो अथवा अर्हता न रखता हो अथवा अपेक्षित प्रमाण-पत्र अपेक्षित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहे उसे उसके संबंधित प्रवर्ग के अंतर्गत 'बिना वर्ग' का अभ्यर्थी माना जायेगा एवं उसे प्रवर्ग के ओपन सीट के विरूद्ध प्रवेश की पात्रता रहेगी ।

2.5.2.6 **आरक्षण हेतु आवंटन का क्रम** :- काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षित सीटों के आबंटन का क्रम निम्नानुसार रहेगा।

1. उर्ध्वाधर आरक्षण :- सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि कोई आरक्षित श्रेणी (SC, ST, OBC) के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट मिल जाती है तो उसे अनारक्षित की सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी।

2. क्षैतिज आरक्षण :- इस प्रक्रिया में सबसे पहले वर्ग विशेष जैसे FF/S/H/Female आदि आरक्षित सीट का आबंटन किया जायेगा। जब तक कि क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये। तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का उसी प्रवर्ग में आबंटन किया जायेगा।

3. उर्ध्वाधर आरक्षण के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे Sainik, FF, Handicap के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे SC/ST/OBC के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहले आबंटित की जा सकती है।

4. आरक्षित प्रवर्ग के सीटों जो क्षैतिज आरक्षण के कारण Sainik, FF, Handicap के लिये आरक्षित हैं यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन वर्ग के सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा। इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा।

टीप : विभिन्न वर्ग एवं प्रवर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था यथा संभव ब्रांचवार/संस्थावार किया जायेगा। आरक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम ब्रांचवार किया जायेगा परंतु इससे यदि संस्थावार आरक्षण असंतुलित होता है तो इसे यथासंभव संतुलन करने के लिये ब्रांचवार आरक्षण में फेरबदल किया जा सकता है। सीट कम होने के कारण यह आवश्यक नहीं कि हर प्रवर्ग/वर्ग को हर ब्रांच की सीट मिले।

2.5.3 <u>जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग-</u>

1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय संस्थाओं, स्वशासी-स्ववित्तीय एवं निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।

2 इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-10 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3 किसी संस्था/ब्रांच के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी । तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा, परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो **''पहले आओ पहले पाओ''** के आधार पर सीट आबंटित किया जायेगा ।

4. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा 2016 में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होंगे ।

5. AICTE के पत्र क्र. No. F.5-84/2012/AICTE/J&K/(Seats)/1016 दि. 8 नवंबर 2012 के दिशा निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर के निवासी छात्रों के प्रवेश के लिए प्रत्येक संस्था में दो-दो सांख्येत्तर सींट उपलब्ध रहेगी। इस हेतु भी प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी एवं प्रवेश 12 वीं की मेरिट के आधार पर होगा।

2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

2.6.1 **शैक्षणिक अर्हता**

2.6.1 (अ) **बी.ई./बी.टेक**- इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं गणित तथा रसायन विज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/जीव-विज्ञान/तकनीकी व्यावसायिक विषय में से किसी एक विषय के साथ 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा। तीनों मुख्य विषयों में जैसे :- भौतिकी, गणित एवं रसायन/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक विषय में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। तकनीकी व्यावसायिक विषयों की सूची अनुसूची-ए में दी गई है।

2.6.1 (ब) **बी.टेक (बायोटेक्नॉलाजी)** पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं जीव-विज्ञान या गणित तथा रसायन-विज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय में से किसी एक विषय के साथ 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत

करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा। तीनों मुख्य विषयों में जैसे :- भौतिकी, बायोलॉजी एवं रसायन/गणित/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है । तकनीकी व्यावसायिक विषयों की सूची **अनुसूची-ए एवं बी** में दी गई है।

2.6.1 (स) **बी./डी फार्मेसी** - चार वर्षीय बी.फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रम एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं रसायन तथा गणित/ जैवप्रौद्योगिकी/जीव-विज्ञान विषय में से किसी एक विषय के साथ 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा। तीनों मुख्य विषयों में जैसे :- भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बी.फार्मेसी में प्रवेश के लिए 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है।

टीप : **1.** वे अभ्यर्थी जो छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल/राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल अथवा अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से डिप्लोमा की अंतिम वर्ष की परीक्षा किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच/आर्किटेक्चर में अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण है, वे भी बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र हैं।

2. यदि अर्हकारी परीक्षा (12वीं) की अंकसूची उत्तीर्ण की है परंतु अभ्यर्थी अनिर्य विषयों में से किसी एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो वह प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जायेगा, तथापि यदि वह संबंधित बोर्ड के नियमानुसार यदि कृपांक (Grace) से भी उत्तीर्ण घोषित किया गया हो तो वह प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा।

3. यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 44.5 या उससे उपर को 45 तथा 39.5 को 40 प्रतिशत मान्य किया जायेगा। तीनों विषयों के प्राप्तांक की गणना करते समय कृपांक (Grace) के अंक को नहीं जोड़ा जाएगा।

4. अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियम लागू होंगे।

5.रजिस्ट्रार, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र क्र. 14-2/2015-PCI(A)/17504-19512, 30 July, 2015 के अनुसार बी./डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ओपन स्कूल से 10+2 वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार भी प्रवेश के पात्र होंगे।

2.6.2 **छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की आवश्यकता**

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, शासकीय विश्वविद्यालयीन, स्वशासी स्ववित्तीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/संस्थानों एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के लिये निर्धारित छ.ग. कोटे की सीटों में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र **(प्रारूप-5)** के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है । इस प्रमाण पत्र **में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख** होना आवश्यक है ।

छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा **प्रारूप-6** में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा **प्रारूप-7** में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे । ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को **प्रारूप-8** में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अभिभावक की परिभाषा :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :-

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (ॲडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षो में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदको के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें ।

2.6.3 **आयु सीमाः-** बी.ई.एवं बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2016 को अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की जाती है । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ निःशक्तता से बाधित विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट रहेगी। आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा ।

2. डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

2.7 <u>प्रवेश हेतु चयन पद्धति</u>

2.7.1 <u>सामान्य प्रवेश परीक्षा-</u>

<u>(अ) बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.ई.टी.</u>

बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा गणित, भौतिकी, रसायन विषयों में प्रवेश परीक्षा पी.ई.टी.-2016 आयोजित की जायेगी। जो छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थी संस्थाओं की छ.ग. कोटा के लिए निर्धारित सीटों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें इस चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है । पी. ई.टी. में सामान्य प्रवर्ग के लिये कम से कम 10 प्रतिशत तथा छ.ग. के आरक्षित प्रवर्ग (SC,ST,OBC,H) के लिये 5 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है । इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी ।

<u>(ब) बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जे.ई.ई (मेन)</u>

जे.ई.ई (मेन) में सामान्य प्रवर्ग के लिये कम से कम 10 प्रतिशत तथा छ.ग. के आरक्षित प्रवर्ग (SC, ST, OBC, H) के लिये 5 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है । इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी । यह परीक्षा **सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली** द्वारा ली जाती है ।

<u>(स) बी./डी.फार्म. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.पी.एच.टी.</u>

फार्मेसी के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं बायो टेक्नालॉजी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा भौतिकी, रसायन, गणित/जीव विज्ञान विषय में प्रवेश परीक्षा प्री-फार्मेसी टेस्ट-2016 आयोजित की जाएगी। बी.फार्मेसी एवं बायोटेक्नालॉजी में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को पी.पी.एच.टी. परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें भी इस चयन परीक्षा में

सम्मिलित होना अनिवार्य है। पी.पी.एच.टी. में सामान्य प्रवर्ग के लिये कम से कम 10 प्रतिशत तथा छ.ग. के आरक्षित प्रवर्ग (SC,ST,OBC,H) के लिये 5 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है। इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। डिप्लोमा फार्मेसी में प्रवेश हेतु PPHT अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात सीट रिक्त रहने पर 12 वीं के PCM/B के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

टीप :- 1. यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 9.5 या उससे उपर को 10 प्रतिशत एवं 4.5 या उससे अधिक को 5 प्रतिशत मान्य किया जायेगा।

2. अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियम लागू होंगे।

3. सामान्य प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक का बंधन डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिये नहीं रहेगा।

2.7.2 प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण

(अ) पी.ई.टी. 2016 के लिये

पी.ई.टी. 2016 की परीक्षा में अभ्यर्थियों की गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र विषयों में प्राप्त सकल अंकों के अधिकतम अंकों के अवरोही क्रम में सम्मिलित प्राविण्यता सूची तैयार की जावेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्गो के लिये अलग-अलग प्राविण्यता सूचियां तैयार की जायेंगी, इन प्राविण्यता सूचियों से प्रवेश, परामर्श (काउंसिलिंग अथवा ऑन लाइन काउंसिलिंग) द्वारा दिया जायेगा।

समान कुलांक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्राविण्यता - समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्राविण्यता विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी। प्रथम गणित (Maths), द्वितीय भौतिकी (Physics), तृतीय रसायन (Chemistry) तीनों विषयों में समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों में प्राथमिकता अधिक उम्र वाले छात्र को दी जाएगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में बारहवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ।

(ब) जे.ई.ई (मेन) 2016 के लिये

जैसा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये।

(स) पी.पी.एच.टी. के लिए

भौतिकी, रसायन, गणित या भौतिकी, रसायन, बायोलाजी में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर कम्बाईंड मेरिट सूची, प्रवर्गवार मेरिट सूचियां तैयार की जावेगी इन योग्यता क्रम सूचियों से उम्मीदवारों के प्रवेश बी./डी. फार्मेसी में परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा किये जायेंगे । मेरिट सूची में उम्मीदवारों का समान प्रतिशत होने पर अधिक प्राप्तांको के आधार पर निम्न क्रमानुसार मेरिट का निर्धारण किया जावेगा -(1) रसायन (2) भौतिकी (3) जन्मतिथि, अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता । उम्र भी यदि समान हो तो 12वीं के कुल अंको के आधार पर होगा ।

2.8 प्रवेश प्रक्रिया

2.8.1 **बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.ई.टी.-2016/जे.ई.ई (मेन)**- 2016 तथा बी./डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.पी. एच.टी.-2016 के मेरिट के आधार पर (डी.फार्मेसी के लिए 12वीं भी) अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिये संस्था आबंटन हेतु कार्य काउंसिलिंग समिति द्वारा ऑन लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा । काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी ।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी । अतः पी.ई.टी.-2016/जे.ई.ई (मेन)-2016/पी.पी.एच.टी.-2016 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें। काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी प्रदेश के सभी, इंजीनियरिंग/फार्मेसी महाविद्यालयों से भी प्राप्त की जा सकती है । साथ ही इसकी जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in में भी देखी जा सकती है । **इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी ।**

काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 12वीं अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होगे । तथापि संबंधित बोर्ड के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी यदि वे तीनों प्रमुख विषयों में संयुक्त रूप से बिना ग्रेस के अंक को जोड़े बिंदु 2.6 के अनुसार अर्हता रखते हैं तो प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।

2.8.2 **काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस** - अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये सभी वर्ग के लिए काउंसिलिंग शुल्क रु. 300/- (रु. तीन सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है । जमा करने का माध्यम की जानकारी काउंसिलिंग के पूर्व वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायगी।

2.8.3 ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :

1. ऑनलाईन काउंसिलिंग के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायगी।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है । दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा) । दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं । जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा । एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता ।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :-

(सूची में परिवर्तन हो सकता है । जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	थ्जला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर	रायपुर	0771-2102860 0771-2103147	12	शासकीय पॉलीटेकनिक, जांजगीर, पेंड्री, जांजगीर-चांपा	जांजगीर	07817-222456
2	शास.पॉलीटेकनिक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609	13	शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ	07762-222737
3	शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी,, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-260289	14	शासकीय पॉलीटेकनिक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
4	शासकीय पॉलीटेकनिक, भकरूपुर, नारायणपुर	नारायणपुर	07781300078	15	इंस्टीट्युट आफ टेक्नोलाजी, कोरबा, बालको उरगा, रिंग रोड, पोस्ट- रिस्दी, कोरबा	कोरबा	07759-659874
5	शासकीय पॉलीटेकनिक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753-264963	16	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी. टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-224818
6	शास. इंजी. महा. जगदलपुर, धरमपुरा नं-2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229439	17	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक रायपुर, बायरन बाजार, रायपुर	रायपुर	0771-2423045
7	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, जगदलपुर, धरमपुरा नं.-2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229230	18	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक राजनांदगॉव, तहसील कार्यालय, राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	07744-292955
8	शासकीय पॉलीटेकनिक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722-237618	19	शासकीय पॉलीटेकनिक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगॉव	07820-234010
9	शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548	20	शासकीय पॉलीटेकनिक, गरियाबंद	गरियाबंद	07706-241403
10	शासकीय पॉलीटेकनिक रामानुज उच्च. मा.शाला भवन बैकुन्ठपुर	कोरिया	07836-232070	21	शासकीय पॉलीटेकनिक पुराना कोर्ट भवन कांकेर	कांकेर	07868-222081
11	शासकीय पॉलीटेकनिक, शास. एन.ई. एस. पी.जी. कालेज केम्पस जशपुर	जशपुर	07763-220051	22	शासकीय पॉलीटेकनिक वेंकटराव कालेज केंपस बीजापुर	बीजापुर	07853-220015

टीप :- 1. यदि आपको दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है ।

2. यह हो सकता है कि किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही हो ऐसा होने पर किसी अन्य नजदीकी संस्था में जाकर दस्तावेज परीक्षण कराया जा सकता है। दस्तावेज परीक्षण हेतु समय-सारणी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में यथा समय प्रसारित की जायेगी।

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लियें हैं । जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं :-

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज - सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण-पत्र DVC में जमा नहीं करना है। केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है । सभी प्रमाण-पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र ।
3. 12वीं की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) । दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही गणित, भौतिक एवं रसायन विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। **पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का दस्तावेज कन्फर्म नहीं किया जायेगा** 4. पी.ई.टी./ पी.पी.एच.टी - 2016/जे.ई.ई (मेन)-2016 की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) ।
5. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक-5,6,7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइस सेंटर से बना निवास प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा)।

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज -

6. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा) । अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियम लागू होंगे।
7. यदि अभ्यर्थी सैनिक (S) वर्ग में आता है तो सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ),(ब)या (स) ।
8. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग में आता है तो निर्धारित प्रारूप-4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
9. यदि अभ्यर्थी निःशक्तता से बाधित (PWD) है तो विकलांगता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर, (दूरभाष-0761-2405581) का प्रमाण पत्र।

बी.पी.एल. के लिये अनिवार्य दस्तावेज

10. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार मे आता है तो सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।
11. जिन अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म में फोटो प्रिंट नहीं हुआ हो उन्हें 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है ।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**category**) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर । उसी प्रकार यदि आपके पास सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/ निःशक्तता से बाधित का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (**class**) को **NIL** में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तद्नुसार आबंटन होगा ।

2.8.4 यदि अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहता है या दस्तावेज परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रमानुसार संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर खो देगा तथा बाद में द्वितीय अथवा उच्च चरण में दस्तावेज परीक्षण की अवधि के दौरान आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होने पर उसे सीट आबंटन किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में जिस दिन भी वह उपस्थित होगा उसे उस दिन उपलब्ध सीट/संस्था/ब्रांच में आबंटन किया जा सकेगा । यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग की अंतिम चरण के समय भी उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह किसी भी सीट/संस्था/ब्रांच में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है और इस प्रकार वह अपने प्रवेश का अधिकार खो देगा ।

2.8.5 गंभीर बीमारीः–यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करते है, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर *दस्तावेज परीक्षण हेतु* सम्मिलित हो सकेंगे । ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा ।

2.8.6 उन संस्थाओं के लिये जिन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे ।

2.8.7 (अ) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD) में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग (OP) में परिवर्तित कर भरा जाएगा । परंतु अनारक्षित प्रवर्ग (UR) के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD) के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD) के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा ।

(ब) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को अन्य प्रवर्ग में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक महाविद्यालय (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तित कर भरा जाएगा।

2.8.8 एक बार अभ्यर्थी *काउंसिलिंग* के प्रथम या उच्च चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है परंतु अगले चरण में रजिस्ट्रशन करने पर उसकी वर्तमान सीट निरस्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट में जुड़ जायेगी । यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकता है ।

2.8.9 छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम –

1. काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अपना प्रवेश रद्द करवाने पर रू. 1000/– की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।

2. प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tuition & Other Fees and Development Fees) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी । कॉशन मनी पूरी वापस की जायेगी ।

   कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :

Deductable Fees = No. of admitted months * Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University

   कुल फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं ।

3. प्रवेश निरस्त कराने/होने पर फीस वापसी के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर **फीस विनियामक समिति** के निर्णय/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी ।

2.8.10 संस्था स्तर की काउंसिलिंग :–

ऑन लाईन काउंसिलिंग के 03 चरण करने के पश्चात् भी यदि संस्थाओं में सीटें रिक्त रह जाती हैं और यदि सक्षम अधिकारी की राय में इसके पश्चात् संस्था स्तर की काउंसिलिंग कराये जाने की आवश्यकता हो तो प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जा सकेगी । संचालनालय से बिना पूर्व अनुमति के संस्था स्तर की काउंसिलिंग नहीं की जा सकेगी।

संस्था स्तर की काउंसिलिंग विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा रिक्त सीटों की जानकारी देकर करनी होगी। किसी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीट पर अन्य संस्थाओं के छात्रों के अलावा उसी संस्था के पूर्व प्रवेशित छात्र भी अपना ब्रांच परिवर्तन करने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं । संस्था स्तर पर प्रवेश हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा।

1. पहले छ.ग. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को PET/PPHT के मेरिट के आधार पर तत्पश्चात JEE (MAIN) के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
2. इसके पश्चात भी सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को पहले PET/PPHT के मेरिट के आधार तत्पश्चात JEE (MAIN) के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

2.8.11 **प्रवेश की अंतिम तिथि :** इन पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2016 निर्धारित की जाती है।

2.9 **संचालनालय/संस्था द्वारा प्रवेश रद्द करना** - यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संचालनालय/संस्था द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर तकनीकी शिक्षा संचालक छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

2.11 छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

2.12 **शिक्षण शुल्क -**

अ. शासकीय संस्था हेतु -

क्रमांक	प्रवर्ग का विवरण	वार्षिक आय सीमा	वार्षिक शिक्षण शुल्क
1	अनारक्षित प्रवर्ग	आय चाहे जो भी हो	रू. 18000/-
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय	(अ) रू 2,50,000/- तक है	शिक्षण शुल्क देय नहीं (पूरे फीस (रु. 18,000/-) की प्रतिपूर्ति आदिमजाति विभाग से नियमानुसार होगी) ।
		(ब) रू 2,50,000/- से अधिक	पूरी शिक्षण शुल्क (रु. 18,000/-) देय है ।
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय	(अ) रू 1,00,000/- तक है	शिक्षण शुल्क देय नहीं (पूरे फीस (रु. 18,000/-) की प्रतिपूर्ति आदिमजाति विभाग से नियमानुसार होगी) ।
		(ब) रू 1,00,000/- से अधिक	पूरा शिक्षण शुल्क (रु. 18,000/-) देय है ।
4	छात्राओं से शिक्षण शुल्क	स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क देय नही है	

टिप्पणी : सत्र 2015-16 के लिये शिक्षण शुल्क रूपये 18000/- प्रतिवर्ष लागू था, वर्ष 2016-17 के लिये शासन यदि कोई परिवर्तन करता है तो वह लागू होगा । उपरोक्त शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क के अतिरिक्त लगभग रू. 3000/- अन्य फीस भी देय है ।

(ब) स्वशासी-स्ववित्तीय एवं निजी संस्थाओं हेतु - ''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के अंतर्गत गठित की गई ''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति'' द्वारा निम्न संस्थाओं की फीस निर्धारित कर दिनांक 29.05.2014 एवं 22.05.2015 को संकल्प पारित किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9-3/2016/तक.शि./42, रायपुर दिनांक 02फरवरी, 2016 द्वारा अंतिम शुल्क निम्नानुसार देय होगी :-

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के लिये शुल्क

(सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए)

S.N.	Name of Institution	Total Fee (Per Semester) in Rs. (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee)
1	Ashoka Institute of Technology & Management, Rajnandgaon	31600
2	Bharti College of Engineering & Technology Durg	32850
3	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg	34100
4	Central College of Engineering & Management, Raipur	34100
5	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Durg	34100
6	Chhattisgarh Institute of Management & Technology, Bhilai	34100
7	Chhattisgarh Institute of Technology, Rajnandgaon	34100
8	Choukse Engineering College, Lal Khadan,Bilaspur	34100
9	Columbia Institute of Engg. & Technology, Raipur	34100
10	Disha Institute of Management & Technology, Raipur	34100
11	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Bilaspur	32850
12	Garv Institute of Management & Technology, Durg	31600
13	GD Rungta College of Engg. & Tech.Bhilai	34100
14	Institute Of Technology, Korba	32850
15	J.K. Institute of Engineering, Village - Gatora, Bilaspur	32850
16	Kirodimal Institute of Technology , Raigarh	31600
17	Kruti Institute of Technology & Engineering Nardaha, Raipur	32850
18	Lakhmi Chand Inst of Technology, Vidyastahali, Bilaspur	34100
19	MM College of Technology, Umariya, Raipur	34100
20	MP Christian College of Engineering & Technology, Bhilai	34100
21	OP Jindal Institute of Technology, Punji Pathara, Raigarh	32850
22	Raipur Institute of Technology, Raipur	34100
23	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai	34100
24	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	34100
25	School of Engineering &Technology, MATS University, Arang, Raipur	32850
26	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Tech. , Pacheda, Raipur	34100
27	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mngt & Tech., Raipur	34100
28	Shri Sankaracharya Institute of Tech. & Management, Bhilai	34100
29	Shri Shankaracharya College of Engg. & Technology, Bhilai	34100
30	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai	34100
31	Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon	32850

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के लिये शुल्क (सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए)

S.N.	Name of Institution	Total Fee (Per Semester) in Rs. (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee)
1	Bhilai Institute of Technology, Kendri, Distt. Raipur	34100
2	Central Institute of Technology, Distt – Raipur	31600
3	Chhattisgarh Engineering College, Distt – Durg	32850
4	Parthivi College of Engineering & Management,Distt – Durg	32850
5	Professional Institute of Engg. and Technology, Distt- Raipur	34100
6	Rungta College of Engineering & Technology, Distt- Raipur	34100
7	Rungta Engineering College, Raipur	34100
8	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology-II , Raipur	31600
9	Shri Shankaracharya Institute of Engineering & Technology, Durg	32850
10	Sun Engineering College , Durg	32850
11	Krishna Engineering College, Bhilai	31100

''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के अंतर्गत गठित की गई ''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति'' द्वारा निम्न संस्थाओं की बी.फार्मेसी एवं डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित कर दिनांक 11.02.2015 को संकल्प पारित किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9-4/2016/तक.शि./42, रायपुर दिनांक 02फरवरी, 2016 द्वारा अंतिम शुल्क निम्नानुसार देय होगी :-

बी. फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क

S.N.	Name of Institution	Academic Year	Total Fee (Per Semester) in Rs. (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee)
1	Apolo College of Pharmacy, Infront of Veterniary College, Anjora, Durg	2015-16, 2016-17 & 2017-18	**31765/-**
2	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	**31765/-**
3	Columbia College of Pharmacy, Raipur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	**31765/-**
4	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	2015-16, 2016-17 & 2017-18	**30515/-**
5	Royal College of Pharmacy Science, Raipur	2014-15, 2015-16 & 2016-17	**30515/-**
6	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhilai	2014-15, 2015-16 & 2016-17	**31765/-**
7	Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	2014-15, 2015-16 & 2016-17	**31765/-**
8	Shri Shankaracharya Institute of Pharmaceutical Science, Bhilai	2014-15, 2015-16 & 2016-17	**31765/-**
9	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Bilaspur	2015-16, 2016-17 & 2017-18	**30515/-**

डी. फार्मेसी महाविद्यालयों के लिये शुल्क

(शैक्षणिक सत्र 2014-15, 2015-16 & 2016-17)

S.N.	Name of Institution	Total Fee (Per Year) in Rs. (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee)
1	Columbia College of Pharmacy, Raipur	49880/-
2	Moulana Abul Kalam Azad College of Pharmacy, Raipur	48880/-
3	Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	49880/-
4	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhilai	49880/-
5	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	49880/-
6	Royal College of Pharmacy Science, Raipur	48880/-
7	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	48880/-
8	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Bilaspur	49880/-

टीप : संस्था में शुल्क नगद जमा नहीं किया जाना है । शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में चालान के माध्यम से, डी.डी., चेक अथवा किसी अन्य बैंकिंग इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से ही जमा किये जायें ।

2.13 ट्यूशन फी वेव्हर योजना- Tution Fee Waiver (TFW) Scheme

2.13.1 यह योजना ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिये लागू होगी ।

2.13.2 कांउसिलिंग के समय संस्थाओं के अनुमोदित सीटों के अतिरिक्त पॉच (5) प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों को भी सम्मिलित किया जाएगा । तथापि अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ संबंधित संस्था में उसी स्थिति में प्राप्त हो सकेगा जब संबंधित ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त प्रवेश हुआ हो । अतिरिक्त प्रवेशित संख्या के बराबर TFW नियमानुसार सी.जी.पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी. के मेरिट के आधार पर देय होगी। उदाहरणार्थ- यदि किसी संस्था की किसी ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता 60 है और कुल प्रवेश 63 छात्रों का होता है तो 3 अभ्यर्थियों को TFW दिया जायेगा । किंतु यदि किसी ब्रांच में 60 प्रवेश क्षमता है और उसमें 62 अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है तो केवल 2 अभ्यर्थी ही फी वेव्हर स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। प्रवेश क्षमता से कम प्रवेश होने पर TFW देने की बाध्यता नहीं होगी । तथापि कोई संस्था स्वेच्छा से TFW देने के लिये स्वतंत्र होगी। ओपन, महिला, निःशक्तता से बाधित आदि कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है। मेरिट में जो अभ्यर्थी आए उसे देय होगा। शासकीय संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा।

इस हेतु छात्र/छात्रा के पालक/अभिभावक की वित्तीय वर्ष 2015-16 की समस्त श्रोतों से आय रू. 4.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य है। आय प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रारूप-11 नियम-पुस्तिका में दिया गया है। आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जायेगा । निर्धारित प्रारूप से किसी अन्य प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया गया ऐसा आय प्रमाण-पत्र जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त श्रोतों का उल्लेख हो मान्य किया जायेगा।

2.13.3 फी वेव्हर स्वीकृत करने की पूरी प्रक्रिया संस्थाओं द्वारा ही किया जाना है। प्रस्ताव संचालनालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों को TFW स्वीकृति प्राप्त होगी उनके द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय जमा की गयी शिक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा छात्रों को वापस की जायेगी एवं द्वितीय सेमेस्टर से फीस नहीं ली जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात परिपालन (compliance) हेतु छात्रों को वापस किये गये रिफण्ड चेक की छाया प्रति एवं छात्रों की सूची भेजी जानी है। पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2016 तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

2.13.4 ट्यूशन फी वेव्हर प्राप्त छात्र को ब्रांच एवं संस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं रहेगी । संस्था/ब्रांच परिवर्तन पर या पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी. सीट छोड़ने पर फी वेव्हर की पात्रता समाप्त हो जायेगी । इसके स्थान पर पात्रतानुसार नीचे के मेरिट (प्रतीक्षा सूची) से फी वेव्हर स्वीकृत किया जा सकता है।

2.13.5 एक बार स्वीकृत की गयी फी वेव्हर पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिये लागू होगी ।

2.13.6 फी वेव्हर जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी वे यदि योग्यता रखते है तो उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता भी बनी रहेगी ।

2.13.7 फी वेव्हर स्कीम के अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क माफ होगा किंतु संस्था में ली जाने वाले अन्य फीस देय होगी ।

2.13.8 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी TFW लागू रहेगा।

2.13.9 विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

2.14 रैंगिंग

2.14.1 परिभाषाः- रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

2.14.2 **रैंगिंग का प्रतिशेध :-** किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

2.14.3 **दण्ड** :-यदि कोई व्यक्ति रैंगिग के प्रतिशेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा ।

2.14.4 **अपराधों का विचारण :-**

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

2.14.5 **छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :-**

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

2.15.6 **रैगिंग के संबंध में टोल फ्री नंबर 18002339188 पर शिकायत की जा सकती है।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)
उप सचिव
छ.ग. शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग

छात्र हित में अन्य जानकारियॉ -

1. **संस्थाओं के संबंध में आवश्यक जानकारियॉ-**

अभ्यर्थी काउंसिलिंग आरंभ होने से पूर्व ही कालेजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां जैसे कि संस्था की जिला मुख्यालय से दूरी, परिवहन की सुविधा, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ की जानकारी, संस्था का भवन एवं प्रायोगिक सुविधाऐं, फीस आदि प्राप्त कर लें, संस्था के संबंध में पर्याप्त जानकारी न होने के आधार पर किसी प्रकार का आक्षेप मंजूर नहीं किया जायेगा । छात्रों एवं अभिभावको की सुविधा हेतु इंजीनियिरिंग संस्थाओं के नाम, पते, फोन नंबर, वेबसाइट आदि की जानकारी www.cgdteraipur.ac.in पर दी जा रही है । जहॉ जाकर संस्था से संबंधित जानकारी देखी जा सकती है ।

2. **बी.पी.एल. स्कॉलरशिप** –यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। यह योजना सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार के बच्चों के लिये है । इस योजना के तहत रु. 1000/- प्रतिमाह की स्कॉलरशिप दी जाती है । इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन संस्था प्राचार्य को किया जाना होता है । इसकी स्वीकृति संचालनालय द्वारा की जाती है । विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है । संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर 2016** है ।

3. **मेरिट स्कॉलरशिप** - यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। यह योजना समस्त श्रेणी के लिये लागू है । इसके लिये कोई आय का बंधन नहीं है । यह स्कॉलरशिप 12वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दी जाती है। समस्त संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् कुल 13 छात्रों को यह स्कॉलरशिप आबंटित की जाती है। वर्तमान में इसकी दर रु. 1000/-प्रतिमाह है । विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है। संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर 2016** है ।

4. **मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप** - यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । यह योजना समस्त श्रेणी के लिये लागू है परंतु इसके लिये आय का बंधन है । पालक की आय रु. 2,50,000/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये । यह स्कॉलरशिप 12वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दी जाती है । यह स्कॉलरशिप संस्थावार आबंटित की जाती है। वर्तमान में इसकी दर रु. 1000/- प्रतिमाह है । विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

5. **आरक्षित वर्ग SC/ST/OBC के लिये मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप एवं शिक्षण शुल्क की वापसी**

शासन की नीति के अनुसार SC/ST/OBC के छात्र जो संस्थाओं में प्रवेशित है, उन्हें पालक के आय के अनुसार मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता है । साथ ही साथ आय के अनुसार ही शिक्षण शुल्क वापस पाने की भी पात्रता है । निजी संस्थाओं के लिये फीस की वापसी शासकीय संस्थाओं में निर्धारित फीस से समतुल्य होती है । इसकी विस्तृत जानकारी संस्था से अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग, भू-तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आदिम जाति विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है ।

1. **ट्यूशन फी वेव्हर** (TFW) **योजना**- इसकी विस्तृत जानकारी बिन्दु क्रमांक 2.13 में दी जा चुकी है। विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है । यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर 2016** है ।

ABBREVIATIONS

F	-	Female quota seats
S	-	Sainik.
FF	-	Freedom Fighter.
PWD	-	Person With Disability
SC.	-	Scheduled Caste
ST.	-	Scheduled Tribe
OBC.	-	Other Backward Class
UR	-	UnReserved
OP	-	Open for both Male & Female
		Branches of Engineering
CE	-	Civil Engineering
CH	-	Chemical Engineering
CS	-	Computer Science & Engineering
EE	-	Electrical Engineering
ET&T	-	Electronics & Tele Communication Engineering
IT	-	Information Technology
ME	-	Mechanical Engineering
MN	-	Mining Engineering
EEE.	-	Electrical & Electronics Engineering
EI	-	Electronics & Instrumentation
B.T.	-	Biotechnology
MT	-	Metallurgical Engineering
MCT	-	Mechatronics Engineering
AE	-	Aeronautical Engineering
ATO	-	Automobile Engineering
PE	-	Production Engineering

Table -1

Brachwise intake of Different Engg. Colleges for Academic year 2016-17 (May be Changed)

Branchwise All Engg. colleges for Acad. year 2016-17 as per CSVTU for PET																		
S.N.	Name of Institutes	Total	AE	ATO	BT	CE	CH	CS	EE	EEE	ET&T	E&I	IT	ME	MN	MCT	PE	Total
1	Govt. Engg. College, Raipur	280				40		60		60	60			60				280
2	Govt. Engg. College, Bilaspur	260				20		40	60		40		40	40	20			260
3	Govt. Engg. College, Jagdalpur	270				60			30		60		30	30	60			270
4	Institute of Technology, Korba	240				60		60		60				60				240
5	Kirodimal Inst. Of Tech., Raigarh	360				60		60	60		60		60	60				360
6	Vishwavidyalya Engg. College, Lakhanpur (Ambikapur)	240				60		60	60					60				240
7	Ashoka Institute of Technology & Management Rajnandgaon	213				48		45	30		30			60				213
8	Bharti College of Engineering & Technology, Durg	336				96		48	48		48			96				336
9	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg	579				60		99	60	60	120		60	120				579
10	Bhilai Institute of Technology, Kendri, Raipur	318				69		60		60	60			69				318
11	SUN Engineering College, Vill+Post- Chandkhuri, Durg	360				60		60		60	60			120				360
12	Central College of Engineering & Management, Kabir Nagar Raipur	240				48		48			48			96				240
13	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Durg	429						90		69	90		45	90		45		429
14	Chhattisgarh Institute of Management & Technology, Bhilai	292				45		45		45	67		0	90				292
15	Chhattisgarh Institute of Technology, Rajnandgaon	337				45		67		45	45		45	90				337
16	Chhattisgarh Engineering College, Borsi-Dhanora Road, Durg	350				90		45		45	45			125				350

S.N.	Name of Institutes	Total	AE	ATO	BT	CE	CH	CS	EE	EEE	ET&T	E&I	IT	ME	MN	MCT	PE	Total
17	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur	390				53		81		74	108			74				390
18	Columbia Institute of Engg. & Technology, Tekari, Raipur	329				69		45		45	45			125				329
19	Shri Shankaracharya Institute of Engineering & Technology, Durg	319				96		48			48			127				319
20	Disha Institute of Management & Technology, Raipur	330						90		60	60			120				330
21	Garv Institute of Management & Technology, Durg	252						36	72		36		36	72				252
22	GD Rungta College of Engg.& Tech., Bhilai	403				71		48			96		48	92			48	403
23	J.K. Institute of Engineering, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	300				60		60			60			120				300
24	Kruti Institute of Technology & Engineering, Nardaha, Raipur	210				60		30		30	30			60				210
25	Lakhmi Chand Inst of Technology, Vidyastahali, Bilaspur	306				60		42	60	42	42			60				306
26	MM College of Technology, Raipur	240				36		36		36	36			36	60			240
27	Christian College of Engineering & Technology, Bhilai	279						60	69		60			90				279
28	Parthivi College of Engineering & Management, , Bhilai, Durg	319				48		48	48		48			127				319
29	Pragati College of Engineering & Management, Sejbahar, Raipur	263				48		48		48	48			71				263
30	Professional Institute of Engineering and Technology, Raipur	240				60		60			60			60				240
31	Raipur Institute of Technology, Raipur	318			18	64	32	54			54			96				318
32	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology-II, New Raipur	336				96		48		48	48			96				336

S.N.	Name of Institutes	Total	AE	ATO	BT	CE	CH	CS	EE	EEE	ET&T	E&I	IT	ME	MN	MCT	PE	Total
33	Rungta Engineering College ,Raipur	382		48		96		48			48			142				382
34	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai	433				85		48		71	96		48	85				433
35	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	680		60		71		96	96	71	96		48	142				680
36	Rungta College of Engineering & Technology, , Raipur	334				96		48			48			142				334
37	MATS School of Engineering &Tech., MATS University, Arang, Raipur	540	60			60		60	60		60		60	120	60			540
38	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology-I, Pacheda, Raipur	398				74		54	54		54		54	108				398
39	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mangt & Tech, Raipur	456				78		78			120		60	120				456
40	Shri Sankaracharya Institute of Technology & Management , Bhilai	458				74		74		74	74		54	108				458
41	Shri shankaracharya group of Institutions (faculty of Engg&Tech)Bhilai	840				91		133	74	108	133	60	108	133				840
42	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai	344						74			108		54	108				344
43	Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon	252				84		42		42				84				252
44	Rungta Engineering College ,Bhilai	420				120		60	60	60				120				420
45	Krishna Engg. College Bhilai	300				60		60	60		60			60				300
	TOTAL	15775	60	108	18	2671	32	2596	1001	1313	2609	60	850	4164	200	45	48	15775

टीप :- 1. उपरोक्त संस्थानों (केवल स.क्र. 06 एवं 37 को छोड़कर) की संबंद्धता (affiliation) छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय CSVTU), भिलाई से है स.क्र. 06 सरगुजा विष्वविद्यालय से एवं स.क्र. 37 स्कूल ऑफ आई.टी., मैट्स यूनिवर्सिटी, आरंग मैट्स यूनिवर्सिटी, आरंग, रायपुर से संबंद्ध (affiliated) है ।

2. सभी संस्थाओं में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीटें (TFW) के लिए उपलब्ध है।

3. उपरोक्त संस्थाओं/सीटों की संख्या में परिवर्तन संभावित है ।

4. संस्थाओं मे प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की अनुमोदन एवं छ.ग स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के संबंद्धता के उपरान्त ही दिया जा सकेगा।

Table-2
Intake For Pharmacy Institution for 2016-17

S.N.	Name of B.Pharmacy Institution	Intake
1	Institute of Pharmacy, Pandit Ravishankar Shukla University Raipur	60
2	Apolo College of Pharmacy, Infront of Veterniary College, Anjora, Durg	60
3	Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, Raipur	96
4	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	60
5	Sri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Kumhari, Durg	120
6	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhilai	96
7	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	54
8	Royal College of Pharmacy Science, Raipur	60
9	Shri Shankaracharya group of institution faculty of Pharmaceutical studies ,Bhilai	60
10	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Uslapur, Bilaspur	60
	Total	**726**

S.N.	Name of D.Pharmacy Institutions	Intake
1	Govt. Girls Polytechnic, Byron Bazar, Raipur	30
2	Columbia College of Pharmacy, Tekari, Raipur	60
3	J.K. Institute of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	60
4	Maulana Abul Kalam Azad College of Pharmacy, Raipur	60
5	Sri Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	60
6	Royal College of Pharmacy, Dumer Talab, Raipur	60
7	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	54
8	Siddhi Vinayak Institute of Pharmacy, Bilaspur	60
	Total	**444**

टीप :-1. सभी संस्थाओं में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीटें (TFW) के लिए उपलब्ध है।

2. उपरोक्त संस्थाओं/सीटों की संख्या में परिवर्तन संभावित है ।

3. संस्थाओं मे प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमोदन एवं छ.ग स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के संबंद्धता के उपरान्त ही दिया जा सकेगा ।

अनुसूची–ए

तकनीकी व्यावसायिक विषयों **(Technical Vocational Subjects)** की सूची

1- Electronic Mechanic
2- Mechanic Computer Hardware
3- Mechanic Industrial Electronics
4- Mechanic Machine Tool Maintence
5- Mechanic Mechatronics
6- Operator Advanced Machine Tools
7- Building Construction
8- Repair of Radio & TV
9- Moped, Scooter, Motorcycle Repair
10- Repair of Electric Domestic Appliances & Electric Motor Rewinding
11- Welding Technology & Fabrication
12- Electrical Technology
13- Automobile Technology
14- Stucture and Fabrication Technology
15- Air Conditioning and Refrigeration Technology
16- Electronics Technology

अनुसूची–बी

तकनीकी व्यावसायिक विषयों **(Technical Vocational Subjects)** की सूची

1- Health Care and Beauty Culture
2- Ophthalmic Techniques
3- Medical Laboratory Technology
4- Auxiliary Nursing & Midwifery
5- X-Ray Technician

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग ..... जिला ..... छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक .....

प्रमाण पत्र क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....पिता/पति का नाम ..... निवासी ग्राम/नगर .....पटवारी हल्का नं. ..... वि.खं. ..... तहसील .....जिला .....संभाग ..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री ..... पिता/पति का नाम ..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है ।

दिनांक- .....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी *लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.1 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग ..... जिला ..... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक ..... प्रमाण पत्र क्रमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... आत्मज श्री ..... निवासी ग्राम ..... जिला संभाग ..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो .....जाति के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा-वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री ..... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला ..... संभाग ..... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक ..... को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... *क्रीमी लेयर* (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस. सी.टी.)दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम-3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3)में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

(नियम 2.5.2.1 देखें)

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम) ..... जो कि ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) ..... के पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे..... पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक..... था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में ..... पद पर सर्विस क्रमांक ..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष ..... में हो चुकी है।

स्थान ..... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक .....

कार्यालय सील

प्रारूप-3 (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

(नियम 2.5.2.1)

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....(अभ्यर्थी के माता/पिता नाम) जो कि ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री ..... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता हैं, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से ..... (स्थान)तहसील.....जिला.....छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है ।

स्थान .....
दिनांक ..... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3 (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र
(नियम 2.5.2.1)

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)जो कि ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काट दें) हैं वह थल सेना/वायु सेना/नौसेना में ..... ओहदे पर सर्विस क्रमॉक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वह प्रतिरक्षा..... इकाई में पदस्थ हैं । वे इस इकाई में दिनॉक .....से सेवारत हैं ।

स्थान .....दिनांक .....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील
कमांडिग आफिसर

प्रारूप-4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.2.2)

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ..... (अभ्यर्थी का नाम) श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है। श्री/ सुश्री..... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.....के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमॉक.....पर पंजीकृत है ।

स्थान ..... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक .....

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी

पदनाम एवं सील

प्रारूप-5
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

क्रमांक ..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी .....निवासी.....

तहसील ..... व जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह -

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भीः-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थातः-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगेः-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

पदनाम एवं सील

प्रारूप-6

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के
स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,

क- जो छत्तीसगढ़ शासन के .....विभाग में.....पद पर.....तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

ख- जो छत्तीसगढ़ शासन के .....विभाग में .....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर.....तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान..... कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के

दिनांक..... (नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रारूप-7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमॉक..... दिनॉक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो.....तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय..... स्थान.....जिला.....में.....पद पर पदस्थ हैं जो

भारत सरकार के.....विभाग

अथवा

भारत सरकार के .....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के .....अर्धशासकीय निकाय का / की कार्मिक है ।

स्थान.....

दिनॉक.....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रारूप-8

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....जो..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है । श्री/सुश्री ..... का/की/संतान है, जो.....योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान .....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
पदनाम एवं सील

प्रारूप-9

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमॉक..... दिनॉक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी का नाम) जो ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान..... .....

दिनॉक..... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप-10

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमॉक..... दिनॉक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री.....छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनॉक.....से दिनॉक.....तक .....(स्थान का नाम) जिला..... में रही है ।

स्थान..... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
दिनॉक.....

शासन में विभागाध्यक्ष अधिकारी का नाम,
हस्ताक्षर, पद एवं
विभाग का नाम

प्रारूप-11

(नियम 2.13.3)

न्यायालय तहसीलदार, तहसील..... जिला .....
(छत्तीसगढ़)

/ आय प्रमाण-पत्र /

राजस्व प्रकरण क्रं..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पिता श्री ..... निवासी .....तहसील ..... जिला ..... (छ.ग.) का **31 मार्च 2016** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू ..... शब्दों में .....रूपये है ।

यह आय प्रमाण पत्र आवेदक के पुत्र/पुत्री/पत्नि..... के लिए जारी किया जाता है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1. यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण-पत्र जारी करें ।
2. सक्षम अधिकारी अन्य प्रारूप में जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त श्रोतों का उल्लेख हो में भी आय प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं ।

Important Informations of Institutions running BE program						
S.no	Code	InstituteName	Phone	Email	Website	Contact No
1	EN101	Govt. Engineering College, Bilaspur	07752260339	principalgecbilaspur@gmail.com	www.cecbilaspur.ac.in	9424152669
2	EN102	Govt. Engineering College, Jagdalpur	07782229439	principal@gecjdp.ac.in	www.gecjdp.ac.in	9425891723
3	EN103	Govt. Engineering College, Raipur	07712103147	principal@gecraipur.ac.in	www.gecraipur.ac.in	9826184381
4	EN104	Kirodimal Institute of Technology, Raigarh (KIT,RIG)	07762233562	kit_raigarh@rediffmail.com	www.kitraigarh.in	9826118949
5	EN105	Institute of Technology, Korba (IT,KRB)	07759217435	korbait@rediffmail.com	www.itkorba.com	9981443708
6	EN106	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg, [BIT,DURG]	07882323997	bit@bitdurg.org	www.bitdurg.org	9425555770
7	EN107	Raipur Institute of Technology, Raipur , [RIT,R]	07713208842	admission@rit.edu.in	www.rit.edu.in	9329773012
8	EN108	Christian College of Engineering & Technology, Bhilai, (CCET,BHILAI)	07882286662	mpccet@mpccet.ac.in	www.mpccet.ac.in	9981991417
9	EN109	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Durg [CSIT,DURG]	07882320884	registrar@csitdurg.in	www.csitdurg.in	9826937473
10	EN110	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai ,[RCET,BHILAI.	07886666666	rcet@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9229155550
11	EN111	Shri Shankaracharya Group of Institutions (FET), Junwani, Bhilai , [SSCET,BHILAI,]	07882291605	ssgi@ssgi.edu.in	www.ssgi.edu.in	9893104150
12	EN112	Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur,(CHOUKSEY,BSP)	07752302100	info@cecbilaspur.ac.in	www.cecbilaspur.ac.in	9685045009
13	EN113	Chhattisgarh Institute of Technology, Near Parrinala, Rajnandgaon ,[CIT,RJN,]	07744304100	cit_rjn@rediffmail.com	www.citrjn.ac.in	9425514868
14	EN114	Disha Institute of Management & Technology, Raipur,[DIMAT,R]	07714231000	info@desindia.in	www.desindia.in	9755590000
15	EN116	MM College of Technology, Lakholi, Raipur,(MMCT,R)	07714280072	info@mmctraipur.com	www.mmctraipur.com	9826709700
16	EN117	Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon,(YITM,RJN)	07744220781	yitm1@yahoo.co.in	www.yitmindia.com	9406349906
17	EN118	Ashoka Institute of Technology & Management, Gram – Torankatta,Rajnandgaon,(AITM,RJN)	07744326090	aitm2007@rediffmail.com	www.aitmrjn.com/www.aitmrjn.in	9827171505

S.no	Code	InstituteName	Phone	Email	Website	Contact No
18	EN120	Bharti College of Engineering & Technology, Durg,(BCET,DURG)	07882982230	bhartiyacollege@gmail.com	www.bharticollege.org	9893883045
19	EN121	Central College of Engineering & Management, Kabir Nagar, Ring Road No. 2, Raipur, (CCEM,R)	077123222400	ccemryp@gmail.com	www.ccemraipur.co.in	9575301000
20	EN122	Chhattisgarh Institute of Management & Technology, Bhilai,(CIMT,BHILAI)	07883055300	cimt_bhilai@rediffmail.com	www.cimt.ac.in	9754412345
21	EN123	Columbia Institute of Engineering & Technology, Raipur, (CIET,R)	07716461098	info@cietraipur.ac.in	www.cietraipur.ac.in	9826122214
22	EN124	Garv Institute of Management & Technology, Durg, (GIMT,DURG)	07882673970	garvinstitute@gmail.com	www.garvinstitute.org	9893435291
21	EN125	GD Rungta College of Engineering, Bhilai, (GDRCET,BHILAI)	07886459564	info@rungtacolleges.com	www.rungtacolleges.com	9229111666
22	EN126	J.K. Institute of Engineering, Opp. B.J.P. Office, Karbala Road, Bilaspur, (J.K.I.E,BSP)	07752327722	jkie@rediffmail.com	www.jkedugroup.com	9827190018
23	EN127	Kruti Institute of Technology & Engineering, Near Gyan Ganaga School, Raipur, (KITE,R)	07712284647	saurabh@atjewels.in	www.kiteindia.in	9755549647
24	EN128	Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur, (LCIT,BSP)	07752217555	lcit.bsp@gmail.com	www.lcitbilaspur.com	9630052722
25	EN130	RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai, (RSRRCET,BHILAI)	07886459564	info@rungtacolleges.com	www.rungtacolleges.com	9229155599
26	EN133	MATS School of Engg and Technology,MATS University,Aarang,Raipur, (MATS,R)	07714078995	matset08@gmail.com	www.matsuniversity.ac.in	7509999933
27	EN134	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology,, Champaran Road, New Raipur (SRITECH,R)	07712120176	info@sri.ac.in	www.sri.ac.in	7898917770
28	EN135	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mangt & Tech, Mujgahan, Raipur, (SSIPMT,R)	07712120555	info@ssipmt.com	www.ssipmt.com	9617020000
29	EN136	Shri Shankaracharya Institute of Technology & Management, Junwani, Bhilai, (SSITM,BHILAI)	07882291621	contacts@ssitm.ac.in	www.ssitm.ac.in	9826128489

S.no	Code	InstituteName	Phone	Email	Website	Contact No
30	EN137	Shri Shankaracharya Engineering College, Junwani, Bhilai, (SSEC,BHILAI)	07882291605	ssecbhilai@gmail.com	www.ssecb.ac.in	9755791797
31	EN139	Bhilai Institute of Technology, Kendri, Distt. Raipur, (BIT, R)	07712120232	bit.raipur@yahoo.com	www.bitraipur.com	7898351444
32	EN140	SUN Engineering CollegeBalod Road,Chandkhuri, Dist - Durg 491221, (SUN,DURG)	09009985200	SUNdurg2012@gmail.com	www.bhilaicampus.org	9893079517
33	EN142	Chhattisgarh Engineering College, Borsi-Dhanora Road, Dhanora, Distt - Durg, (CEC,DURG)	07882344781	nalin2000@yahoo.com	www.cecdurg.com	9826126171
34	EN143	Shri Shankaracharya Institute of Engineering & Technology, Jewra Sirsa, Durg, (SSIET,DURG)	07882613211	ssiet09@gmail.com	www.ssiet.co.in	9977247605
35	EN145	Parthivi College of Engineering & Management, Sirsakala, Bhilai, Distt - Durg, (PARTHIVI,BHILAI)	07882280411	mail@parthivicollege.com	www.parthivicollege.com	9589132902
36	EN146	Professional Institute of Engg and Technology, Murra, Tilda, Distt - Raipur, (PIETECH,R)	07712420375	pietech.raipur@gmail.com	www.pietechraipur.org	9617900010
37	EN147	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology-II, Near Mukthangan, New Raipur, (SRITECH-2,R)	07712101010	info@sri.ac.in	www.sri.ac.in	7898917779
38	EN148	Rungta Engineering College, Behind Nandan Van, Veer Savarkar Nagar, Raipur, (REC,R)	07716666666	rsrrcet@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9826145333
39	EN149	Rungta College of Engg & Technology, Behind Nandan Van, Veer Savarkar Nagar, Raipur	07716666666	rcetrpr@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9826145333
40	EN152	Pragati College of Engineering & Management, Sejbahar, Raipur, (PRAGATI,R)	07712120700	info@pragatiengineering.in	www.pragatiengineering.in	8305014694
41	EN164	Vishwavidyalya Engineering College, Lakhanpur (Sarguja University) Ambikapur	07774261224	dewangankavita0@gmail.com	www.sua.nic.in	9406037540
42		Krishna Engg. College Bhilai	0788 - 3202262	krishnaengineerincollege@gmail.com	www.kecbhilai.com	9981124212

Important Informations of Institutions running B.Ph/D.Ph program							
S.No.	Code	InstituteName	Estd.Yr.	Phone	E-mail	Website	Contact No
1	PH101	Institute of Pharmacy, Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur	2001	07712262832	directoruiop@gmail.com	www.iopraipur.ac.in	9826150327
2	PH102	School of Pharmacy, Chouksey Engineering College, Bilaspur	2004	07752302100	info@cecbilaspur.ac.in	www.cecbilaspur.ac.in	9685045008
3	PH103	Shree Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Kumhari, Durg	2004	09203910085	sripkumhari@gmail.com	www.sri.ac.in	9229157337
4	PH104	Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, Raipur	2005	07721266230	cipraipur@gmail.com	www.columbiaiop.ac.in	7828520999
5	PH106	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhilai	2006	07886666666	info@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9229155550
6	PH107	Royal College of Pharmacy, Raipur	2004	09302130492	rcp.rcps@gmail.com	www.royalpharmacy.org	9424231025
7	PH108	Shri Shankaracharya Group of Institutions, (faculty of pharmaceutical science), Bhilai	2007	07882291608	ssgi@ssgi.edu.in	www.ssgi.edu.in	9039269923
8	PH109	Apolo College of Pharmacy, Infront of Veterniary College, Anjora, Durg	2009	07882623444	info@apollocollegeofpharmacy.com	www.apollocollegeofpharmacy.com	9827345100
9	PH110	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	2009	07752650927	jkip_bilaspur@yahoo.co.in	www.jkedugroup.com	9303269293
10	PH111	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Uslapur, Bilaspur	2004	07752217578	svits_bilaspur@yahoo.com	www.svits.edu.in	9827181552
11	PH113	Government Girls Polytechnic, Byron Bazaar, Raipur	1996	07712324045	ggpr@gmail.com	www.ggpraipur.ac.in	9406320245, 9826100000
12	PH115	Maulana Abul Kalam Azad College of Pharmacy, Raipur	2004	077132033335	makazadpharmacy123@gmail.com		9981224037